

प्रेषक,

शंभु नाथ,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक : १३ अप्रैल, 2007

विषय: जन-सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाना।

महोदय,

शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1936/43-2-2006, दिनांक 20 नवम्बर, 2006 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5(1) के अन्तर्गत नामित जन सूचना अधिकारी विशेष सचिव स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी तथा धारा 19(1) के अन्तर्गत नामित अपीलीय अधिकारी सचिव स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी नहीं होना चाहिए। उसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि विभागाध्यक्ष के कार्यालय में विभागाध्यक्ष को जन सूचना अधिकारी नामित किया जाये तथा अन्य फील्ड स्तरीय कार्यालयों में उक्तानुसार ही कार्यालय प्रमुखों को जन सूचना अधिकारी नामित करने की कार्यवाही की जाय एवं प्रत्येक मामले में नियंत्रक अधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(1) के अन्तर्गत सभी प्रशासनिक एकाईयों या उसके अधीन कार्यालयों में लोक प्राधिकारी द्वारा जन सूचना अधिकारी नामित किए जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार धारा-19(1) के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी के निर्णय के प्राप्ति से 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकरण में जन सूचना अधिकारी से ज्येष्ठ अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नामित किए जाने का प्राविधान है। जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के रूप में नामित किए जाने के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 5(1) व धारा 19(1) में कोई स्तर निर्धारित नहीं है।

3- अतएव उक्त को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी प्रशासनिक इकाईयों व उसके अधीन कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी नामित करने की कार्यवाही लोक प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक से उपलब्ध अधिकारियों में से सम्पादित की जाय।

4- शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1934/43-2-2006, दिनांक 20 नवम्बर, 2006 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(शंभु नाथ)

मुख्य सचिव।